


वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 21वीं बैठक दिनांक 02.06.2023 का कार्यवृत्त

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की 21वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.06.2023 को समय प्रातः 11.30 बजे से विश्वविद्यालय सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

01	प्रो० ओंकार सिंह, कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री अशोक कुमार, संयुक्त सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री अरविन्द सिंह पांगती, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
04	श्रीमती दीप्ती मिश्रा, उपसचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
05	श्री दिनेश कुमार पुनेठा, अनुसचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
06	श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्री एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड	सदस्य
07	प्रो० ललित के० अवस्थी, निदेशक एन०आई०टी० उत्तराखण्ड।	सदस्य
08	प्रो० सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	आमंत्रित सदस्य
09	श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य/सचिव


सर्वप्रथम मा० कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ हुई तथा एजेण्डावार निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा बिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	वित्त समिति का निर्णय
01	02	03	04
बिन्दु संख्या 01	विश्वविद्यालय के 06 कैम्पस संस्थानों को सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु संस्थान निदेशक स्तर पर कृत कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :- 01. सम्बन्धित परिसर संस्थान निदेशक वित्तीय वर्ष 2023-24 से आगामी वित्तीय वर्ष हेतु विश्वविद्यालय की वित्त समिति द्वारा अनुमोदित बजट के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्राधिकारनुसार ही व्यय किया जायेगा। 02. संस्थान निदेशक रू० 25000/- तक की सामग्री/सेवा /निर्माण की अधिप्राप्ति हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन करते हुये अपने स्तर से सम्पादित करेंगे। इसके अधिक धनराशि के प्रकरणों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति विश्वविद्यालय स्तर से कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/मा०कुलपति महोदय स्तर से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। 03. संस्थान के वचनबद्ध व्यय यथा (वेतन(एरियर को छोड़कर)/मानदेय/बिजली/पानी/भवन कर/सीवर कर /दूरभाष/इन्टरनेट/मजदूरी आदि की स्वीकृति तथा भुगतान का कार्य निदेशक स्तर पर ही सम्पादित किया जायेगा। 04. संस्थान के प्रशासनिक मामलों में नियमित तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों के सभी प्रकरण निदेशक स्तर से	उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 564/2023/XLI-A-65/2022(E-38893) दिनांक 09.05.2023 के माध्यम से स्ववित्तपोषित रूप से संचालित 05 इंजीनियरिंग संस्थानों सहित बौन इंजी० संस्थान उत्तराकाशी को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। चूंकि उक्त संस्थानों के सफल संचालन का उत्तरदायित्व अब वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून का हो गया है। अतः इस हेतु सभी कैम्पस संस्थानों के लिये एक मानक व्यवस्था बनायी जानी आवश्यक है	प्रस्ताव पर बिन्दुवार विस्तृत चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा परिसर संस्थानों के संचालन हेतु स्तंभ-02 में प्रस्तुत व्यवस्था पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही सभी कैम्पस संस्थानों पर विश्वविद्यालय स्तर से पूर्ण वित्तीय नियंत्रण रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया गया तथा सलग्न-01 में दिये गये विवरण के अनुसार वित्त




	<p>तथा इससे ऊपर की श्रेणी व नियमित शिक्षकों/अधिकारियों के सभी प्रकरणों पर निर्णय हेतु विश्वविद्यालय स्तर से अनुमोदन/निर्णय प्राप्त किया जायेगा।</p> <p>05. कैम्पस संस्थानों द्वारा समस्त प्राप्तियां विश्वविद्यालय द्वारा संरक्षित बैंक खाते में जमा की जायेगी। समय-समय पर संस्थान की मांग तथा बजट के अनुरूप ही वित्त नियंत्रक, तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा धनराशि का अंतरण सम्बन्धित संस्थान के बैंक खाते में किया जायेगा। संस्थान द्वारा मासिक आय-व्यय का विवरण आगामी माह की 05वीं तिथि तक वित्त नियंत्रक, तकनीकी विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>06. शैक्षणिक मामलों में संस्थान प्रमुख के रूप में निदेशक स्तर पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>07. विश्वविद्यालय के समस्त कैम्पस परिसर संस्थानों के सुचारु संचालन का उत्तरदायित्व संस्थान निदेशक का होगा एवं इस हेतु उन्हें वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार अग्रिम आदेशों तक विश्वविद्यालय अधिनियम एवं विनियमावली के प्रावधान 4.04 के अनुसार दायित्वों का निष्पादन करने का उत्तरदायित्व संस्थान निदेशक का होगा।</p> <p>08. विश्वविद्यालय स्तर कैम्पस संस्थानों की समस्त प्राप्तियां संरक्षित किये जाने हेतु एच0डी0एफ0सी0 में वित्त नियंत्रक वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0 के पदनाम से एक नया बैंक खाता खोले जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p> <p>09. सभी कैम्पस संस्थानों के वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुमानित आय-व्ययक पर चर्चा / अनुमोदन।</p>	<p>ताकि प्रत्येक संस्थान में उनकी आय के अनुरूप वित्तीय व्यवस्था बनायी जा सके। इस व्यवस्था से जहां एक ओर दैनिक कार्यों के सम्पादन में संस्थान को कोई कठिनाई नहीं होगी वहीं दूसरी ओर पूर्ण पारदर्शिता के साथ वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा पर्यवेक्षण तथा प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।</p>	<p>समिति द्वारा बजट 2023-24 पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही टी0एच0डी0सी0 संस्थान में बी0टैक के साथ-साथ आगामी शैक्षिक सत्र से समस्त तैयारी कराये जाने के उपरांत बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।</p>
<p>बिन्दु संख्या 02</p>	<p>विश्वविद्यालय के 06 कैम्पस संस्थानों (प्रौद्योगिकी संस्थान टी0एच0डी0सी0-आई0एच0ई0टी0टिहरी/ गोपेश्वर/पिथौरागढ़/सुद्धौवाला/टनकपुर/उत्तरकाशी) में संचालित पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क में एक रूपता बनाये जाने हेतु चालू सत्र 2023-24 से बी0टैक शिक्षण शुल्क रू0 75000/- प्रतिवर्ष व अन्य शुल्क लागू किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>सभी कैम्पस संस्थानों को समान अवसर प्रदान किये जाने हेतु एवं प्रवेश क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु सभी संस्थानों में एक समान शिक्षण शुल्क रू0 75000/- वार्षिक स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>	<p>चर्चा उपरांत प्रस्तावनुसार रू0 75000/- वार्षिक शिक्षण शुल्क एवं विश्वविद्यालय में अनुमन्य अन्य शुल्क को सभी परिसर संस्थानों में सत्र 2023-24 से नये बी0टैक प्रवेश पर प्रभावी करने के निर्णय पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
<p>बिन्दु संख्या 03</p>	<p>06 कैम्पस संस्थानों (प्रौद्योगिकी संस्थान टी0एच0डी0सी0-आई0एच0ई0टी0टिहरी/गोपेश्वर/पिथौरागढ़/सुद्धौवाला/टनकपुर/उत्तरकाशी) में पठन-पाठन हेतु पूर्व से विश्वविद्यालय में प्रभावी दरों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की सेवायें लिये जाने पर अतिथि शिक्षकों को रू0 1000/- प्रति लेक्चर की दर से तथा प्रत्येक माह में अधिकतम रू0 35000/- मानदेय भुगतान किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>कैम्पस संस्थानों में सूचारु रूप से शिक्षण कार्य सम्पादन हेतु अतिथि शिक्षकों की सेवायें लिये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>	<p>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>

2 | Page



<p>बिन्दु संख्या 04</p>	<p>06 कैम्पस संस्थानों (प्रौद्योगिकी संस्थान टी0एच0डी0सी0—आई0एच0ई0टी0टिहरी/गोपेश्वर/पिथौ रागढ़/सुद्धौवाला/टनकपुर/उत्तरकाशी) में नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता/कमी के दृष्टिगत 11 माह की अवधि पर संविदा पर शिक्षक रखे जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। इन शिक्षकों को यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0 मानकों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर के निर्धारित न्यूनतम वेतन रू0 57700/- के नियत मानदेय/वेतन भुगतान किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>कैम्पस संस्थानों में सूचारु रूप से शिक्षण कार्य सम्पादन हेतु संविदा शिक्षकों UGC/ACITE मानकों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर के निर्धारित न्यूनतम वेतन रू0 57700/- के नियत मानदेय/वेतन भुगतान किये जाने प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>	<p>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
<p>बिन्दु संख्या 05</p>	<p>विश्वविद्यालय के सभी कैम्पस संस्थानों को विश्वविद्यालय के साथ ई0आर0पी0 से जोड़ने हेतु रू0 05.00 लाख के व्यय का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>वर्तमान में विश्वविद्यालय के सभी कार्यकलाप ई0आर0पी0 सिस्टम के माध्यम से आनलाईन सम्पादित किये जा रहें हैं। इसी क्रम में कैम्पस संस्थानों को भी ई0आर0पी0 सिस्टम से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन हेतु रू0 05.00 लाख का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>	<p>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
<p>बिन्दु संख्या 06</p>	<p>विश्वविद्यालय परिसर में बैंकिंग सुविधायें हेतु आवश्यक परिसर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत पूर्व से निर्मित भवन/स्टोर में निर्माण/रिनोवेशन हेतु रू0 15.00 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>विश्वविद्यालय परिसर में बैंकिंग सुविधायें हेतु आवश्यक परिसर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत पूर्व से निर्मित टिनशेड भवन (22 फीट चौड़ा एवं 52 फीट लम्बा) में छत/प्लास्टर/लाईट/पानी/प्रशासन कक्ष/फर्श आदी का कार्य लेबर रेट पर कराया जाना प्रस्तावित है। अतः इस कार्य पर अनुमानित रू0 15.00 लाख के व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>	<p>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
<p>बिन्दु संख्या 07</p>	<p>विश्वविद्यालय परिसर में बैंकिंग सुविधायें हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इस परिसर से बैंक संचालन की सहमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु मासिक किराये पर परिसर उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं निम्न शर्तें आदि निर्धारित किये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>		<p>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>



Details required in the offer letter of Univeristy	Corresponding rates/terms as per Bank's Premises policy	विश्वविद्यालय स्तर पर निर्णय
01	02	03
Carpet area of premises with rate of rental	< Rs. 15 per sq.ft per month with offered area in sqft.	Rs. 30 per sq.ft per month with offered area in sqft.
Lease period	Min 10 Years	सहमत
Rent Escalation	Max 10% after 5 Years	सहमत
Lease Expenses	50:50 Basis	सहमत
Civil Work(Structure, Wall plastering, Vetrified Tilling, Two Toilets, painting etc to make the premises habitable)	By the Landlord	सहमत
Municipal Taxes payment	Present, future and any escalation in municipal taxes is to be borne by the landlord only.	सहमत
Electricity and water connection	Separate Connection in the name of our bank to be provided by the landlord. Bank will only pay the monthly bills raised as per the seprate meters.	सहमत
Construction of Strong Room	Strong room as per Bank's Specification is to be constructed by the landlord	Strong room की स्थापना/निर्माण बैंक द्वारा अपने स्तर से करा लिया जाय तथा इस व्यय को आगामी मासिक किराये से समायोजित किया जाय।
Periodic white washing,Painting	Once in 2/3 Years by the Landlord	सहमत
Repair/Maintenance	Major by Landlord. Minor by Bank	सहमत
Income Tax/TDS	As pe income tax rules/guidelines	सहमत

बिन्दु संख्या
08

प्री0फैब स्टील स्ट्रक्चर में Faculty of Technology (FOT) के संचालन हेतु पार्टिशन/फॉल सिलिंग/मरम्मत कार्य/रिनोवेशन कार्य हेतु 15.00 लाख की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

चालू शैक्षिक सत्र से विश्वविद्यालय परिसर में दो ब्रान्चों के साथ बी0टैक एवं बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम प्री0फैब स्टील स्ट्रक्चर में संचालित किये जाने प्रस्तावित है। यह स्ट्रक्चर विगत वर्षों से महिला तकनीकी संस्थान के अधीन था। वर्तमान में उक्त स्ट्रक्चर को प्रयोग में लिये जाने से पूर्व अनेक

वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

		निर्माण/मरम्मत/रिनोवेशन कार्य कराये जाने की नितांत आवश्यक है। इस प्रयोजन हेतु रु0 15.00 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	
बिन्दु संख्या 09	माह जनवरी, 2008 में क्रय किये गये विश्वविद्यालय के कैम्पर वाहन के आयु सीमा पूर्ण होने पर निष्प्रयोज्य कैम्पर वाहन के स्थान पर 01 मारुती (ईको) वाहन क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रु0 6.00 लाख (रु0 छः लाख मात्र) व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी, 2008 में एक महिन्द्रा (कैम्पर) वाहन क्रय किया गया था। इस वाहन को क्रय किये हुये 15 वर्ष पूर्ण हो चुके है। अतः इस वाहन को निष्प्रयोज्य करते हुये इसके स्थान पर एक नई मारुती ईको वाहन क्रय किया जाना प्रस्तावित है। यह वाहन परीक्षा सम्बन्धी कार्यों एवं विभिन्न कार्यकलापों के प्रयोग किया जायेगा। उक्त वाहन क्रय हेतु रु0 06.00 लाख का अनुमानित व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	वित्त समिति द्वारा कैम्पर वाहन के नीलामी करने एवं प्रस्तावनुसार नया वाहन क्रय हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या 10	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून परिसर में नवनिर्मित अतिथि गृह से सम्बन्धित नियमावली (Regulations of Guest House Accommodation) व दरें वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय के नवनिर्मित अतिथि गृह संचालन हेतु नियम व शर्तें अनुमोदन हेतु वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही हैं।	वित्त समिति द्वारा Regulations of Guest House Accommodation व दरों के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या 11	विश्वविद्यालय में UTU Centre for Hemp Processing Technology Development स्थापित किये जाने हेतु रु0 02.00 लाख व्यय किय जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय द्वारा भांग के औद्योगिकी/व्यावसायिक/औषधीय उपयोग हेतु में UTU Centre for Hemp Processing Technology Development स्थापित करने हेतु रु0 02.00 लाख का व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<p>बिन्दु संख्या 12</p>	<p>विश्वविद्यालय Acadmic Staff Development Center स्थापित किये जाने हेतु रू0 05.00 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>विश्वविद्यालय कैम्पस संस्थानों/सम्बद्ध संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की दक्षता/शिक्षण क्षमता में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत Acadmic Staff Development Center स्थापित किये जाने हेतु रू0 05.00 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
<p>बिन्दु संख्या 13</p>	<p>विश्वविद्यालय में Admission Cell स्थापित किये जाने एवं Admission Cell में लगाये गये Nodal Offier/Dy Nodal Officer /Coordinator आदि को मानदेय संशोधन पर विचार तथा इस प्रयोजन हेतु रू0 05.00 लाख का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्राधिकारिता से विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाती है जिस हेतु बाहर से शिक्षकों की सेवायें लेकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु विश्वविद्यालय में Admission Cell स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>इस कार्य में विश्वविद्यालय द्वारा अपने सम्बद्ध संस्थानों/परिसर संस्थानों/ कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर के शिक्षकों को दायित्व सौंपा जाता है।</p> <p>इस क्रम में प्रस्तावित हैं कि वित्त समिति विचारोंपरांत Admission Cell की स्थापना हेतु रू0 05.00 लाख व्यय किये जाने एवं Nodal Offier/Dy Nodal Officer /Coordinator आदि दायित्वों के निर्वाहन हेतु नियत मानदेय के रूप में शैक्षणिक सत्र की सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया संपादित कराये जाने के उपरांत प्रोफेसर स्तर के शिक्षकों को रू0 20000/-,</p>	<p>वित्त समिति द्वारा शैक्षिक सत्र में मानदेय धनराशि प्रस्तावनुसार भुगतान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>

6 | Page



		एसोसियेट्स प्रोफेसर स्तर के शिक्षकों को रू0 18000/- व असिसटेंट प्रोफेसर स्तर के शिक्षकों को रू0 15000/- तथा बाहर से आबद्ध तृतीय श्रेणी कर्मियों को रू0 10000/ मानदेय स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
बिन्दु संख्या 14	विश्वविद्यालय परिसर में स्वास्थ्य सम्बन्धी आकस्मिकताओं के दृष्टिगत डिस्पेंसरी स्थापित किये जाने हेतु रू0 05.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) व्यय का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय परिसर में Faculty of Management /Faculty of Technology & Faculty of Pharmacy /Women Institute of Technology में अध्यनरत छात्रों व शिक्षकों,कर्मचारियों अधिकारियों की किसी स्वास्थ्य सम्बन्धी आकस्मिकताओं के दृष्टिगत प्रस्तावित है कि University Dispensary स्थापित की जाये जिसमें ओपीडी सेवाओं हेतु अस्थायी आधार पर अल्पकालिक अर्ह चिकित्सक को दैनिक वेतन पर आबद्ध करते हुये एवं आउटसोर्स पर एक नर्स रखते हुये इसका संचालन किया जाय। इस हेतु रू0 05.00 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। अतः वित्त समिति से अनुरोध है कि रू0 05.00 लाख व्यय व अल्पकालिक चिकित्सक व आउटसोर्स/दैनिक वेतन पर एक नर्स रखे जाने पर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।	वित्त समिति द्वारा आउटसोर्स के माध्यम के माध्यम से पद सृजन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने व सी0एम0ओ0 देहरादून को डिस्पेंसरी में मैन पावर उपलब्ध कराये जाने के लिये पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उपरोक्त व्यवस्था होने तक विश्वविद्यालय द्वारा नर्स/फार्मसिस्ट को आवश्यकता के आधार पर आबद्ध किया जाएगा।

7 | Page

बिन्दु संख्या 15	संस्थान गुरु नानक एजुकेशन ट्रस्ट (हरमेश) रुड़की पर बकाया अर्थदण्ड राशि रू0 99,80,000/- के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक 568/2023/XLI-A-29/2021(43443) दिनांक 09.05.2023 के अनुपालन में प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।	इस क्रम में बिन्दुवार/विस्तृत प्रस्ताव सलंगनक कर वित्त समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया तथा सम्बन्धित संस्थान से बकाया धनराशि वसूली हेतु निर्देशित किया गया।
---------------------	--	---	---

बिन्दु संख्या
16

चालू शैक्षिक सत्र 2023-24 से वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में संचालित B.Pharm एवं B.Tech (CSE & Cyber Security) एवं P.G Diploma in Cyber Security) हेतु शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
वित्त समिति द्वारा निम्नानुसार शुल्क निर्धारण के प्रस्ताव पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया :-

B.PHARM FEE STRUCTURE FOR FY 2023-24

Sl. No.	Particular	B.Pharm. Fee (in Rs.)
A	Tuition Fee	
	BPHARM	75000.00 / Year
B	University Fees (Annual Charges)	
	Enrollment Fee	1500 (For First Year Students Only)
	Registration Fee	300 (For First Year Students Only)
	Degree Fee	500 (For Final Year Students Only)
	Exam Fee	5000
	Sport Fee	400
	Development Fee	400
	Student Welfare Fee	300
C	Other Charge	
	Training, Placement & Skill Development	1000 (For First Year Students Only)
	Campus Development Charges	500(Annual Charge)
	Caution Money Library (Refundable)	2500 (For First Year Students Only)
	Caution Money Laboratory (Refundable)	2500 (For First Year Students Only)
Total fee B.Pharm I Year – 89400 (I Semester – 49400, II Semester-40000)		
Total fee B.Pharm II Year -81900 (III Semester-41900, IV- Semester- 40000)		
Total fee B.Pharm III Year- 81900 (V Semester-41900, VI Semester-40000)		
Total fee B.Pharm IV Year -82400 (VII- 42400, VIII - Semester-40000)		

Faculty of Technology (B.TECH & PG DIPLOMA)

Sl. No.	Particular	B.Tech. Fee(in Rs.)Annual
A	Tuition Fee	
	BTECH	75000
	PG DIPLOMA	35000
B	University Fees (Annual Charges)	
	Enrollment Fee (One Time Fee)	1500
	Registration Fee(One Time Fee)	300
	Degree Fee (One time in Final 4 th Year)	500
	Exam Fee	5000
	Sport Fee	400
	Development Fee	400
	Student Welfare Fee	300

(Handwritten signatures and marks)

	Total	8400
C	User Charges	
	Recreation Charges	1000
	Identity Card Charges	100
	Magazine Charges	100
	Computing infra Charges	2000
	University Day Activity Charges	500
	Training & Placement Charges (One Time in 3 rd Year)	1000
	Industrial Exposure Charges	500
	Computer peripherals & Stationary Charges	500
	Library Facility Charges	2000
	Laboratory Charges	1500
	Student Aid	300
	Electricity Charges	500
	Fire & Water Charges	300
	Research Initiatives Charges	200
	Skill Development Charges	500
	Conferences, Innovative Projects Fund and Entrepreneurship Charges	300
	Outsourcing Facilities & other misc. expenditure on unspecified items	500
	Insurance of Students and Medical Charge	1000
	Total	12800
D	Other Charges	
	Caution Money (Library/W.S/Labs) (refundable)	5000
	Univ. Alumni Association Membership (one time)	1500
	Information Brochure Charges (one time)	200
	Total	6700
	Grand Total B.TECH	102900
	Grand Total PG DIPLOMA	62900

बिन्दु संख्या
17

विश्वविद्यालय द्वारा चालू शैक्षिक सत्र 2023-24 से बी0टैक/बी0फार्मा0 एवं पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु एवं महिला संस्था सुद्धौवाला अध्ययनरत्न छात्राओं के लिये विश्वविद्यालय निधि से परिसर में ₹0 6.00 करोड़ की अनुमानित लागत से 100 क्षमता का महिला छात्रावास निर्माण व शैक्षणिक कार्य हेतु ₹0 05.00 करोड़ की अनुमानित लागत में Academic Block निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

बी0फार्मा0/बी0टैक/पी0जी0 डिप्लोमा व कैम्पस संस्थान महिला तकनीकी संस्थान, सुद्धौवाला में प्रवेशित छात्राओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराये जाने व प्रवेश क्षमता में वृद्धि के दृष्टिगत विश्वविद्यालय निधि से ₹0 06.00 करोड़ की अनुमानित लागत में 100 क्षमता का महिला छात्रावास निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त अलावा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के पठन-पाठन हेतु प्रशासनिक भवन में पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण शैक्षणिक कार्य हेतु ₹0 05.00 करोड़ की अनुमानित लागत का Academic

वित्त समिति द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय निधि से छात्रावास व Academic Block निर्माण कराये जाने के लिये शासन स्तर से नियमानुसार कार्यवाही समयबद्ध रूप से करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही शासन की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत शेष कार्यवाही विश्वविद्यालय

		Block निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	स्तर से किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।												
बिन्दु संख्या 18	<p>परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में सेमेस्टर परीक्षाओं के केन्द्र अधीक्षक, सहायक केन्द्र अधीक्षक, कक्ष निरीक्षकों एवं आकस्मिकता व्यय को पूर्व में निर्धारित में इंगित पारिश्रमिक दरों की भाँति दिये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है जिनका विवरण निम्नवत है:-</p> <table border="1"> <tr> <td>केन्द्र अधीक्षक</td> <td>सम्पूर्ण परीक्षा हेतु एक</td> <td>रु0 1200 प्रतिदिन एवं अधिकतम रु0 12000/- (निर्धारित)</td> </tr> <tr> <td>सहायक केन्द्र अधीक्षक</td> <td>सम्पूर्ण परीक्षा हेतु एक</td> <td>रु0 1000 प्रतिदिन एवं अधिकतम रु0 10000/- (निर्धारित)</td> </tr> <tr> <td>कक्ष निरीक्षक</td> <td>30 छात्रों पर दो कक्ष निरीक्षक</td> <td>रु0 250 प्रति पाली (निर्धारित)</td> </tr> <tr> <td>Contingency</td> <td>रु0 10 प्रति छात्र</td> <td>(निर्धारित)</td> </tr> </table> <p>अतः उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	केन्द्र अधीक्षक	सम्पूर्ण परीक्षा हेतु एक	रु0 1200 प्रतिदिन एवं अधिकतम रु0 12000/- (निर्धारित)	सहायक केन्द्र अधीक्षक	सम्पूर्ण परीक्षा हेतु एक	रु0 1000 प्रतिदिन एवं अधिकतम रु0 10000/- (निर्धारित)	कक्ष निरीक्षक	30 छात्रों पर दो कक्ष निरीक्षक	रु0 250 प्रति पाली (निर्धारित)	Contingency	रु0 10 प्रति छात्र	(निर्धारित)	सेमेस्टर परीक्षाओं के सुचारु सम्पादन हेतु परीक्षा केन्द्र को पूर्व वर्षों की भाँति धनराशि भुगतान किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
केन्द्र अधीक्षक	सम्पूर्ण परीक्षा हेतु एक	रु0 1200 प्रतिदिन एवं अधिकतम रु0 12000/- (निर्धारित)													
सहायक केन्द्र अधीक्षक	सम्पूर्ण परीक्षा हेतु एक	रु0 1000 प्रतिदिन एवं अधिकतम रु0 10000/- (निर्धारित)													
कक्ष निरीक्षक	30 छात्रों पर दो कक्ष निरीक्षक	रु0 250 प्रति पाली (निर्धारित)													
Contingency	रु0 10 प्रति छात्र	(निर्धारित)													
बिन्दु संख्या 19	<p>विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सम सेमेस्टर 2022-23 की द्वारा सेमेस्टर परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में कतिपय प्रश्न unchecked या अन्य त्रुटि होने पर पुनर्मूल्यांकन शुल्क रु0 3000/- Online वापस किये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।</p>	<p>बैठक में चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सेमेस्टर परीक्षा जनवरी-फरवरी, 2023 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन On screen evaluation होने के उपरान्त छात्रों द्वारा संबंधित विषय कितने अंक प्राप्त होने तथा छात्र ऑनस्क्रीन उत्तर पुस्तिका का अवलोकन के उपरान्त संबंधित छात्र द्वारा विषय की उत्तर पुस्तिकायें हेतु पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करता है, तदोपरान्त संबंधित विषय की उत्तर पुस्तिका में विश्वविद्यालय द्वारा कराये गये On screen evaluation में unchecked या अन्य त्रुटि होने पर संबंधित अभ्यर्थी का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन शुल्क Online वापस किये जाने पर सहमति प्रदान</p>	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।												

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature in blue ink and several smaller ones in blue and green ink.

		करते हुए प्रकरण को परीक्षा समिति के अनुमोदित प्रस्ताव को वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	
बिन्दु संख्या 20	विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में प्रश्न पत्र निर्माण/ मूल्यांकनकर्ता/ मॉडरेशन/ उडन दस्ता/ पर्यवेक्षक/ मूल्यांकन कार्य में मुख्य परीक्षक/उप मुख्य परीक्षक/कोडिनेटर/डिप्टी कोडिनेटर को एक सेमेस्टर में रू0 30000/- (रू0 तीस हजार मात्र) सीमा को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षा में प्रश्न पत्र निर्माण/ मूल्यांकनकर्ता/ मॉडरेशन/ उडन दस्ता/ पर्यवेक्षक/ मूल्यांकन कार्य में मुख्य परीक्षक/उप मुख्य परीक्षक/कोडिनेटर/डिप्टी कोडिनेटर को एक सेमेस्टर में रू0 30000/- सीमा निर्धारित की गयी है। वर्तमान में उपयुक्त शिक्षकों से कोई कार्य समानान्तर रूप में लिये जाने के दृष्टिगत एक सेमेस्टर में एक शिक्षक को पारिश्रमिक की कुल देय रू0 30000/- सीमा को समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या 21	विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विधिक कार्यों/अनुबंध/एम0ओ0यू0 आदि के निष्पादन हेतु विधिक सलाह लिये जाने के सम्बन्ध में विधि विशेषज्ञ को विश्वविद्यालय सलाहकार नामित किये जाने तथा सलाहकार को प्रति प्रकरण रू0 2000/- मानदेय भुगतान किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय को समय-समय पर विभिन्न प्रयोजन हेतु एक विधिक सलाहकार की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी क्रम में विधिक कार्यों/अनुबंध/एम0ओ0यू0 के निष्पादन हेतु विधिक सलाह लिये जाने के सम्बन्ध में विधि विशेषज्ञ को विश्वविद्यालय सलाहकार नामित किया जाने तथा सलाहकार को प्रति प्रकरण रू0 2000/- मानदेय भुगतान किये जाने का प्रस्ताव वित्त	प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया एवं वर्तमान में विशेषज्ञ बुलाये जाने की व्यवस्थानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

11 | Page

		समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किय जा रहा है।	
बिन्दु संख्या 22	विश्वविद्यालय में "प्रोफेसर एमरिटस" (Professor Emeritus) की सेवायें रू0 1.00 लाख प्रतिमाह के मानदेय पर लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। Faculty of Management - 1 Faculty of Technology -1 Faculty of Pharmacy -1	विश्वविद्यालय में एम0टैक0, एम0फार्म0, एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है तथा शैक्षिक सत्र 2023-24 से नवीन बी0टैक0 तथा बी0फार्म0 पाठ्यक्रम संचालित किया जाना है, जिस हेतु विश्वविद्यालय में वरिष्ठ संकाय सदस्य उपलब्ध नहीं है। उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन आदि सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय में किसी प्रतिष्ठित संस्था से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त शिक्षाविद् की "प्रोफेसर एमरिटस" के रूप में सवायें ली जानी प्रस्तावित है, जिस हेतु "प्रोफेसर एमरिटस" के रूप में सेवायें ली जानी प्रस्तावित हैं। इस कार्य हेतु रू0 1.00 लाख प्रतिमाह के मानदेय भुगतान किया जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में वित्त समिति की 21वीं बैठक अध्यक्ष महोदय व सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(बिक्रम सिंह जंतवाल)
संयोजक/वित्त नियंत्रक
वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।

(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव, न्याय विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन

(प्रो0 सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव,
वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।

(पंकज गुप्ता)
अध्यक्ष, इंडस्ट्री ऐसोसियेशन ऑफ
उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षर
(प्रो0 ओंकार सिंह)
मा0 कुलपति/अध्यक्ष

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनुसचिव, तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन

(प्रो0 ललित के0 अवस्थी)
निदेशक
एन0आई0टी0 उत्तराखण्ड।

(दीप्ती मिश्रा)
उपसचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड
शासन।

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, के 06 कैम्पस संस्थानों हेतु

अनुमानित आय-व्ययक : वर्ष 2023-24 (एक नजर में)

(धनराशि हजार रूपयों में)

अनुमानित प्राप्तियां 2023-24						अनुमानित व्यय 2023-24							
आय मर्दे	IT BAUN UTK	THDC IHET	NPSIT Pithoragarh	IT Gopeshwer	WIT Dehradun	Dr.APJAK IT TANAKPUR	व्यय मर्दे	IT BAUN UTK	THDC IHET	NPSIT Pithoragarh	IT Gopeshwer	WIT Dehradun	Dr.APJAK IT TANAKPUR
व्याज से प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	वैतन / भत्तों पर व्यय	15000	42500	20000	23000	30000	20000
कालेजों से प्राप्त विकास शुल्क	-	-	-	-	-	-	कार्यालय व्यय	1000	1500	500	1000	1500	1000
जमानतें / जमाये	-	-	-	-	-	-	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रश्न पत्र	-	-	-	-	-	-
शोध छात्रों से प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	परीक्षा संचालन संबंधी व्यय	-	-	-	-	-	-
छात्र कल्याण शुल्क	-	-	-	-	-	-	मूल्यांकन संबंधी व्यय	0	0	0	0	0	0
संबद्धता शुल्क	-	-	-	-	-	-	विकास मर्दों में व्यय (विभिन्न निर्माण कार्य)	100	1000	350	400	200	400
विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	यात्रा व्यय	400	200	150	70	100	400
शिक्षण शुल्क की प्राप्तियां	7200	52980	29060	38860	48450	31740	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	100	50	20	20	50	50
अन्य प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-	किराया	1000	1250	250	600	200	1000
राजकीय सहायता	-	-	-	-	10000	-	उपशुल्क/कर/विद्युत देय	-	-	-	-	-	-
							वाहनों का अनुक्षण/क्रय	500	300	150	372	150	550
							उपकरणों का क्रय एवं अनुक्षण	30000	1500	20	0	15000	500
							भूमि/भवन/सड़क एवं अनुक्षण	4000	0	200	0	0	200
कुल योग	7200	52980	29060	38860	58450	31740	कुल योग	52100	48300	21640	25462	47200	24100



इन्सटिट्यूट आफ टैक्नोलॉजी (बौन) उत्तरकाशी।

आय-व्ययक अनुमान : वर्ष 2023-24 (एक नजर में)

(हजार रुपयों में)

क्रमांक	मर्दे	प्राप्तियां 2023-24 का प्रस्तावित अनुमान	क्र.स.	मर्दे	2023-24 का प्रस्तावित अनुमान
51.	ब्याज की प्राप्तियां		01	वेतन / भत्तों पर व्यय	
52.	कालेजों से प्राप्त विकास शुल्क		02	कार्यालय व्यय	15000
53.	जमानतें / जमायें		03	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रश्न पत्र	1000
54.	शोध छात्रों से प्राप्तियां		04.	परीक्षा संचालन संबंधी व्यय	-
55.	छात्र कल्याण शुल्क		05	मूल्यांकन संबंधी व्यय	-
56.	संबद्धता शुल्क		06.	विकास मर्दों में व्यय	100
57.	विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्तियां		07	यात्रा व्यय	400
58.	शिक्षण शुल्क	7200	08	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	100
			09	किराया उपशुल्क / कर	1000
			10.	वाहनों का अनुरक्षण	500
			11.	उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण	30000
			12.	भूमि / भवन / सड़क एवं अनुरक्षण	4000
			13.	छात्र-कल्याण एवं सहायता	
			14.	कनवोकेशन व्यय (दीक्षान्त समारोह)	
	योग	7200			52100



टी0एच0डी0सी0 इन्सटिट्यूट आफ टैक्नोलॉजी नई दिल्ली।

आय-व्ययक अनुमान : वर्ष 2023-24 (एक नजर में)

(हजार रुपयों में)

क्रमांक	मर्दे	प्राप्तियां 2023-24 का प्रस्तावित अनुमान	क्र.स.	मर्दे	2023-24 का प्रस्तावित अनुमान
51.	ब्याज की प्राप्तियां		01	बैतन / भत्तों पर व्यय	
52.	कालेजों से प्राप्त विकास शुल्क		02	कार्यालय व्यय	42500
53.	जमानतें / जमायें		03	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रश्न पत्र	1500
54.	शोध छात्रों से प्राप्तियां		04.	परीक्षा संचालन संबंधी व्यय	-
55.	छात्र कल्याण शुल्क		05	मूल्यांकन संबंधी व्यय	-
56.	संबद्धता शुल्क		06.	विकास मर्दों में व्यय	1000
57.	विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्तियां		07	यात्रा व्यय	200
58.	शिक्षण शुल्क	52980	08	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	50
			09	किराया उपशुल्क / कर	1250
			10.	वाहनों का अनुरक्षण	300
			11.	उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण	1500
			12.	भूमि / भवन / सड़क एवं अनुरक्षण	-
			13.	छात्र-कल्याण एवं सहायता	-
			14.	कनवोकेशन व्यय (दीक्षान्त समारोह)	-
	योग	52980			48300




नही परी सीमान्त इन्सटिट्यूट आफ टैक्नोलॉजी पिथौरागढ़।

आय-व्ययक अनुमान : वर्ष 2023-24 (एक नजर में)

(हजार रूपयों में)

क्रमांक	मर्द	प्राप्तियां	क्र.स.	मर्द	2023-24 का प्रस्तावित अनुमान
51.	ब्याज की प्राप्तियां	2023-24 का प्रस्तावित अनुमान	01	वैतन / भर्तों पर व्यय	20000
52.	कालेजों से प्राप्त विकास शुल्क		02	कार्यालय व्यय	500
53.	जमानतें / जमाये		03	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रश्न पत्र	-
54.	शोध छात्रों से प्राप्तियां		04.	परीक्षा संचालन संबंधी व्यय	-
55.	छात्र कल्याण शुल्क		05	मूल्यांकन संबंधी व्यय	-
56.	संबद्धता शुल्क		06.	विकास मर्दों में व्यय	350
57.	विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्तियां		07	यात्रा व्यय	150
58.	शिक्षण शुल्क	29060	08	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	20
			09	किराया उपशुल्क / कर	250
			10.	वाहनों का अनुरक्षण	150
			11.	उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण	20
			12.	भूमि / भवन / सड़क एवं अनुरक्षण	200
			13.	छात्र-कल्याण एवं सहायता	-
			14.	कनवोकेशन व्यय (दीक्षान्त समारोह)	-
	योग	29060			21640






इन्सटिट्यूट आफ टैकनोलॉजी गौपेश्वर।

आय-व्ययक अनुमान : वर्ष 2023-24 (एक नजर में)

(हजार रुपयों में)

क्रमांक	वर्ग	प्राप्तियां 2023-24 का प्रस्तावित अनुमान	क्र.स.	वर्ग	2023-24 का प्रस्तावित अनुमान
51.	ब्याज की प्राप्तियां		01	वेतन /भत्तों पर व्यय	
52.	कालेजों से प्राप्त विकास शुल्क		02	कार्यालय व्यय	23000
53.	जमानतें / जमायें		03	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रश्न पत्र	1000
54.	शोध छात्रों से प्राप्तियां		04.	परीक्षा संचालन संबंधी व्यय	-
55.	छात्र कल्याण शुल्क		05	मूल्यांकन संबंधी व्यय	-
56.	संबद्धता शुल्क		06.	विकास मर्दों में व्यय	400
57.	विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्तियां		07	यात्रा व्यय	70
58.	शिक्षण शुल्क		08	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	20
		38860	09	किराया उपशुल्क/कर	600
			10.	वाहनों का अनुरक्षण	372
			11.	उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण	-
			12.	भूमि /भवन /सडक एवं अनुरक्षण	-
			13.	छात्र-कल्याण एवं सहायता	-
			14.	कनवोकेशन व्यय (दक्षिण समारोह)	-
	योग	38860			25462



महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून।

आय-व्ययक अनुमान : वर्ष 2023-24 (एक नजर में)

(हजार रूपयों में)

क्रमांक	मर्दे	प्राप्तियां 2023-24 का प्रस्तावित अनुमान	क्र.स.	मर्दे	2023-24 का प्रस्तावित अनुमान
51.	ब्याज की प्राप्ति		01	वेतन /भत्तों पर व्यय	
52.	कालेजों से प्राप्त विकास शुल्क		02	कार्यालय व्यय	30000
53.	जमानत /जमाये		03	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रश्न पत्र	1500
54.	शाघ छात्रों से प्राप्ति		04.	परीक्षा संचालन संबंधी व्यय	-
55.	छात्र कल्याण शुल्क		05	मूल्यांकन संबंधी व्यय	-
56.	संबद्धता शुल्क		06.	विकास मर्दों में व्यय	200
57.	विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्ति		07	यात्रा व्यय	100
58.	शिक्षण शुल्क	38450	08	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	50
			09	किराया उपशुल्क/कर	200
			10.	वाहनों का अनुरक्षण	150
59	सरकार से प्राप्त ग्राण्ट	10000	11.	उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण (अभ्युदर हेतु)	5000
			12.	सरकार से प्राप्त ग्राण्ट उपकरणों पर व्यय	10000
			13.	भूमि/भवन/सडक एवं अनुरक्षण	-
			14.	छात्र-कल्याण एवं सहायता	-
	योग	48450			47200





डॉ० ए०पी०जी०ए०के०आई०टी० टनकपुर।

आय-व्ययक अनुमान : वर्ष 2023-24 (एक नजर में)

(हजार रूपयों में)

क्रमांक	मदें	प्राप्तियां 2023-24 का प्रस्तावित अनुमान	क्र.स.	मदें	2023-24 का प्रस्तावित अनुमान
51.	ब्याज की प्राप्तियां		01	वेतन /भत्तों पर व्यय	
52.	करलेजों से प्राप्त विकास शुल्क		02	कार्यालय व्यय	20000
53.	जमानतें /जमायें		03	परीक्षा संबंधी लेखन सामग्री एवं प्रश्न पत्र	1000
54.	शोध छात्रों से प्राप्तियां		04.	परीक्षा संवाहन संबंधी व्यय	-
55.	छात्र कल्याण शुल्क		05	मूल्यांकन संबंधी व्यय	-
56.	संबद्धता शुल्क		06.	विकास मदों में व्यय	400
57.	विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी प्राप्तियां		07	यात्रा व्यय	400
58.	शिक्षण शुल्क	31740	08	आतिथ्य व्यय एवं सत्कार	400
			09	किराया उपशुल्क/कर	50
			10.	वाहनों का अनुरक्षण	1000
			11.	उपकरणों का क्रय एवं अनुरक्षण	550
			12.	भूमि/भवन/सडक एवं अनुरक्षण	500
			13.	छात्र-कल्याण एवं सहायता	200
			14.	कनवोकेशन व्यय (दीक्षान्त समारोह)	-
	योग	31740			-
					24100



